रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2018/फाल्गुन 15, 1939

No. 116] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2018/PHALGUNA 15, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2018

सा.का.नि. 203(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी परिवहन खंड, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निदेशक, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के, व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यवस्था किया जाना अपेक्षित हो ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	* 2 (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-13 (1,23,100-2,15900 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन से किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा, अथवा भारतीय रेल यांत्रिकीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी: (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है, या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (78,800-209200 रूपए) नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा या मूल काडर या विभाग में समतुल्य सेवा की हो । (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्ति:- (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिकीय या विद्युत इंजीनियरींग में प्रौद्योगिकी स्नातक या अभियांत्रिकी स्नातक; और (ii) उत्पादन नियंत्रण या मूल्यांकन और पूर्ण चल स्टाक प्रणालियों का रख-रखाव (विन्यास आधारित विभिन्न उपसंयोजन सहित) या परियोजना प्रबंधन में ग्यारह वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण तथा पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/1/2011-प्र.-I]

धर्मेन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2018

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Urban Transport Wing, Ministry of Housing and Urban Affairs on deputation basis, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Director, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Methods of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—Method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, the other Backward Class and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	2 *(2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 13 (Rs.123100 – 215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, percentage of the posts to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of Indian Railways Service of Engineering, Indian Railway Service of Electrical Engineering, or Indian Railway Service of Mechanical Engineering under the Ministry of Railways: - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level - 12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: - (i) Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in Civil or Mechanical or Electrical Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) Eleven years of experience in production control or appraisal and maintenance of complete rolling stock systems (including various subassembly based configuration) or project management. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organsation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2011-Admn.I]

DHARMENDRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.08 10:12:45 +05'30'